

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
सोमवार, 28 जुलाई, 1997 / श्रावण 06, 1919 ॥शक॥

संख्या : 336

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली का दिनांक 21.7.97 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री चौ. प्रेम सिंह, हारून युसुफ, ब्रह्म पाल एवं श्रीमति कृष्णा तीरथ को उनके अन्य समर्थकों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रथम बैरिक संसद मार्ग, नई दिल्ली पुलिस के विधिप्राम्पत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 21.07.97 को पूर्वाह्न 11.15 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 21.07.97 को पूर्वाह्न 11.26 बजे, प्रथम बैरिक संसद मार्ग से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DEIHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, July 28, 1997/ Shravana 06, 1919 (Saka)

No.336

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 21.7.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi:-

" I have the honour to inform you that S/Shri Ch. Prem Singh, Haroon Yusuf, Brahm Pal and Smt. Krishna Tirath, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under Section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Ist Barricade Parliament Street, New Delhi at 11.15 hrs. on 21.7.97.

They were released at 11.26 hrs. on 21.7.97 from Ist Barricade Parliament Street on the same day i.e. on 21.7.97."

P.N. GUPTA  
SECRETARY